न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 182/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
बागाराम पुत्र बलवन्ता राम विश्नोई निवासी–ग्राम कावटी नगर, तहसील लोहावट जिला जोधपुर।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लोहावट, जिला जोधपुर। 2. जगमालराम पुत्र बलवन्ताराम 3. चुनाराम पुत्र श्री मुगलाराम 4. हडमानाराम पुत्र चुतराराम जातियान– विश्नोई निवासी– ग्राम भजन नगर व कावटी नगर, तहसील लोहावट जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 02.10.2021 उपखण्ड अधिकारी, लोहावट के द्वारा आदेश कमांक प्र0ग0सं0/2021/01 में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– श्री पूनाराम बिश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 से 4 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 27 अक्टूबर, 2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट के प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एवं 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर ग्राम भजन नजर व कावटीनगर के खसरा नंबरान 1649, 1647, 1645, 1644, 1684, 1683, 1685, 1687 व 1687/1 में चल रहे आवागमन हेतु चालू हालत के रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने की अनुशंषा की गई। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उपरोक्त खसरान भूमि के खातेदारों की सहमति लिये बिना ही ख0सं0 1687 में से 0.1619 हैक्टर, ख0सं0 1687/1 में से 0.1294 हैक्टर भूमि रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश दिनांक 02.10.2021 को पारित कर दिया गया जिससे व्यथित होने से अपीलान्ट से न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील प्रस्तुत कर रहा है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि धारा 131, 132 एवं 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के विपरित जाकर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जबकि राजस्व रेकर्ड में पूर्व में किसी प्रकार की कोई लिपिकिय त्रुटि कारित नहीं हुई थी जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा इस प्रकार का आदेश पारित किया जाना आवश्यक था। इस आधार पर आलौच्य आदेश निरस्त करने योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि उक्त वर्णित खसरान भूमि के विवादित खसरान के खातेदारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही तथा उनकी सहमति लिये

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

बिना ही आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के खसरान भूमि में से वर्तमान में कोई रास्ता नहीं चल रहा है, इसलिये नये रास्ते का आदेश नहीं दिया जा सकता है। अपीलान्ट की खातेदारी की खसरान नं0 1687 (1739/1687) है। अतः अपीलान्ट की अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुए उपरोक्त आधारों पर अपील स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 2 से 4 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट बागाराम के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान जो ग्राम पंचायत भजननगर में दिनांक 02.10.2021 को आयोजित हुआ था, में पारित आदेश कदीमी रास्ता दर्ज किये जाने के विरूद्ध यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट के द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम भजननगर व कावटी नगर के कुल 25 खसरान भूमि में चल रहे कदीमी रास्ते का अंकन राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदत्त किये गये है। उक्त आदेश सभी खातेदारों की सहमति से पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य है। मौके पर इन खसरों में वर्षो पूर्व से ही ग्रेवल सडक बनी हुई है तथा वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा उक्त ग्रेवल सडक पर डामर सडक की स्वीकृति जारी की गई है।

रेस्पो0 संख्या 2 से 4 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट केवल खसरा संख्या 1687/1 का सहखातेदार है। अन्य खसरान के खातेदारों के द्वारा कोई अपील पेश नहीं की गई है। अपीलान्ट व प्रार्थी संख्या एक सगे भाई है तथा अपीलान्ट बागाराम द्वारा न्यायालय हाजा में अपील पेश करने के साथ–साथ सहायक कलेक्टर लोहावट के समक्ष एक नियमित वाद भी पेश कर दिया है तथा केवल पारिवारिक विवाद के कारण ही उक्त अपील पेश की गई है। अपीलान्ट एवं रेस्पो0 दोनों ही रेकर्डेड खातेदार है तथा प्रकरण सार्वजनिक रास्ते का होने से अपीलाधीन आदेश व अपील से प्रभावित पक्षकार है। अपीलान्ट के द्वारा नियमित वाद प्रस्तुत कर दिये जाने से अब उक्त अपील के माध्यम से वह अपीलाधीन आदेश को चुनौती नहीं दे सकते है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.10.2021 को यथावत बहाल रखा जावें।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि उपखण्ड अधिकारी, लोहावट के द्वारा ग्राम भज़न नगर व कावटीनगर के उपरोक्त वर्णित खसरान की भूमि में स्थाई रूप से चालू कदीमी रास्ते को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार लोहावट से प्राप्त प्रस्ताव व आमजन से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के मध्यनजर तथा व्यापक जनहित में सुखाचार के मन्तव्य से ही अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना परिलक्षित होता है। उपखण्ड अधिकारी, लोहावट के द्वारा उक्त आदेश प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत मजमें आम में पारित किया गया है। ऐसे मे हमारे विनम्र मत में उक्त पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं रहती है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट के द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.10.2021 को यथावत बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 27 अक्टूबर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर